

फ़. सं.: NCCS/SC/3-1/2025-26-Part(2)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र
<https://nccs.gov.in/>

दिनांक: 13.08 .2026

अधिसूचना

विषय: क्लाउड कार्यान्वित आईपी राउटर और वाई-फाई सीपीई को सुरक्षा प्रमाणन से छूट के संबंध में।

यह पूर्व अधिसूचना संख्या NCCS/SC/3-1/2025-26-Part(2) दिनांक 30.03.2026 के क्रम में है, जिसमें 31 अगस्त, 2026 तक क्लाउड-आधारित आईपी राउटर और वाई-फाई सीपीई के लिए सुरक्षा प्रमाणन से छूट प्रदान की गई थी।

2. इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि ऐसे उत्पादों के सुरक्षा प्रमाणन से छूट की अनुमति को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

यह आदेश वरिष्ठ उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र की स्वीकृति से जारी किया गया है।

हस्ताक्षरित/-

(सुमित सिंह)

सहायक महानिदेशक (सुरक्षा प्रमाणीकरण-I)

सेवा में :

सभी OEMs / डीलर्स / आयातक / आवेदक / TSTLs – NCCS वेबसाइट के माध्यम से

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. सलाहकार (संचालन), दूरसंचार विभाग मुख्यालय
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र
3. वरिष्ठ उप महानिदेशक, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
4. उप महानिदेशक (सुरक्षा आश्वासन), दूरसंचार विभाग मुख्यालय
5. उप महानिदेशक (दूरसंचार प्रमाणन), दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र
6. eTT तथा C-DOT – पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करने के अनुरोध सहित

F. No. NCCS/SC/3-1/2025-26-Part(2)
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
National Centre for Communication Security
<https://nccs.gov.in/>

Dated: 13.08.2026

NOTIFICATION

Subject: Exemption of Cloud implemented IP Routers and Wi-Fi CPEs from Security Certification – Reg.

This is in continuation to the earlier notification No. NCCS/SC/3-1/2025-26-Part(2) dated 30.03.2026 regarding grant of exemption from security certification for cloud-based IP Routers and Wi-Fi CPEs till 31st August, 2026.

2. In this regard, the undersigned has been directed to convey that the grant of exemption from security certification to such products is hereby extended till 31st December, 2026.

This is issued with the approval of Sr. DDG, NCCS.

(Sumit Singh)
ADG (Security Certification-I)

To,

All OEMs/Dealers/Importers/applicants/TSTLs- through NCCS website

Copy for kind information to:

1. Advisor(O), DoT HQ
2. Sr. DDG, NCCS
3. Sr. DDG, TEC
4. DDG(SA), DoT HQ
5. DDG(TC), TEC
6. eTT and C-DOT – with a request to make necessary changes in the portal